


**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अवनीत कौर बनाम इन्द्रजीत सिंह आदि  
अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 188, 83 आरटीए नम्बर 21 सन् 2024  
जी.सी.एम.एस. नम्बर २०२५/२१

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.02.2024	<p>वादी अवनीत कौर पुत्री गुरमीत सिंह नाबालिग जरिए माता कुदरतीवली सर्वजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 79/80 बसन्त विहार कॉलोनी, 1 बी छोटी नजदीक तीनपुली श्रीगंगानगर हाल चक बूडसिंहवाला ग्राम पंचायत सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ की ओर से अधिवक्ता श्री गुरमेज सिंह ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 88, 83 आरटीए प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.02.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/03/24 को पेश हो। <i>[Kame]</i></p>	
26 <sup>02</sup> / <sub>२५</sub>	<p>आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा नोटप्रेस करने पर पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 83, 92A, 88 RTA नोटप्रेस किया।</p> <p>वादी व वादी अधिवक्ता को बुला गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 83, 92A, 88 RTA नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणीते लेकर नम्बर से काम लेकर वापिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p>Not Press</p> <p><i>[Signature]</i> Suman / Sul (श्रीमान सिंह)</p> 



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर